

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना मुकाम नीमकाथाना
व इजलास राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना
1. सीताराम पुत्र गोकुलराम जाति अहीर निवासी ढाणी बिन्दाला तन टोडा तहसील
नीमकाथाना जिला सीकर। -वादी-

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर।

-प्रतिवादी-

मुकदमा नम्बर- 154/2025

दावा बाबत घोषणा


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना व हाजरी श्री रोशनलाल अग्रवाल एडवोकेट वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम टोडा पटवार हल्का टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 724 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 725 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.08.2013 के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हों।


निज.....×.....मुबलिंग.....×.....बाबत.....×.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....×.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....×.....को अदा करें। बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर




सहायक कलक्टर (F.T.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
नीमकाथाना (सीकर)
नीमकाथाना (राज०)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	/		स्टाम्प अर्जी दावा	/	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


18/12/20

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने निवेदन किया कि भूमि 724 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 725 रकबा 0.03 हैक्टेयर ग्राम टोडा तहसील नीमकाथाना में वादी द्वारा भागीरथ पुत्र गंगू हिस्सा 220/894, गोकल पुत्र गंगू हिस्सा 337/894, रामचन्द्र पुत्र बनवारी हिस्सा 262/894 तथा शान्ति बेवा बनवारी हिस्सा 75/894 जाति अहीर निवासी ढाणी बिन्दाला तन टोडा खातेदार से सम्पूर्ण 0.27 हैक्टेयर भूमि दिनांक 07.08.2013 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तहरीर कराकर तस्दीक करा दिया था। वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काशत चला आ रहा है। उक्त विक्रेतागण का विक्रय की गई भूमि से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अतः उक्त दिनांक 07.08.2013 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण भरा जाने की अनुमति प्रदान करते हुए दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादी ने उक्त भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.08.2013 द्वारा खरीद ली थी। जिसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज होना हैं। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं कि—

आदेश

ग्राम टोडा पटवार हल्का टोडा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 724 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 725 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.08.2013 के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।


(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना नीमकाथाना (सीकर)